

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत सहायक कलक्टर

मुकाम

भीलवाड़ा

किस्म मुकदमा

212

नं.

280

सन्

2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/6/25	बाद जॉच वाद/प्रार्थना पत्र/ईजराय/अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्ट्री किया जावे। सूचना विपक्षीयों को जरिये तलवाना/को अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 20/6/25 को पेश हो।	
20/6/25	पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसिएशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। राजकीय अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली सादाक आदेश दिनांक 4/7/25 को पेश हो।	
4/7/25	श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक न्यय/डिवि/2025/42833 दिनांक 13/2/25 द्वारा न्यायालय उपखण्ड 2, भीलवाड़ा में विद्यमान राजस्थान कांस्ट्रक्शंस प्रिविजिम 1998 की धारा 53, 54, 52क, 183, 188 एवं 212 के अन्तर्गत विद्यमान सहस्रीडा सबईपुर की पत्रावली अंतर्गत होकर वास्तु सुनवाई शुरू है। उक्त प्रकरण में पत्रावली पेश करने को वास्तु सुनवाई तलख किया जाकर कार्यवाही की गई है। न्यायालय पर पत्रावली पेश करने से अंतरेत उक्त पत्रावली को का समय के लिए स्थगित करने हेतु उक्त दिनांक 4/7/25 को जारी अधिनेवा 1998 की धारा 210, 211 एवं 212 के अन्तर्गत पत्रावली पेश करने के उक्त समस्त पत्रावली में न्यायिक कार्य एवं गुणवत्तपूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु कोर्ट दिनांक 4/7/25 को अपादिमान पेशा गई। अपादिनी सभी खर्च उपासिका/ अपादिनी एवं अपादिनी अधिवक्ता अनुपस्थित। अपादिनी एवं अपादिनी अधिवक्ता की विद्यमानानुसार तीन बार आवजें लगाई गई, पानु कोई उपस्थित नहीं आया। अपादिनी एवं अपादिनी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आये हैं। अपादिनी द्वारा उक्त अपादिनी पत्र अन्तर्गत धारा 53	

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

280/2025

4/7/25

श्रीमान काशी आरिन्द्र को जारी किया
जाता है। निम्न संख्या लुनाका जमा प्रमाणी
कौशल शुमार लोक दारिल दफ्तर ही तम नमर
से कम हो।


4/7/25

सहायक कलक्टर
थीलवाड़ा